# SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898

In the court of . प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 139/2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

#### name, parentage, caste and address of accused

- 1. परमाल पुत्र जसवंतसिंह चौहान उम्र 19 साल निवासी घूम का पुरा थाना गोहद चौराहा
- 2. शिवनाथ पुत्र जीवनसिंह सिकरवार उम्र 56 साल निवासी महिन्द्रा एजेन्सी के पीछे थाना गोहद चौराहा
- 3. मलखान पुत्र बलराम जाटव उम्र 32 वर्ष निवासी घूम का पुरा थाना गोहद चौराहा
- 4. जगदीश पुत्र रतीराम जाटव उम्र 35 साल निवासी बड़ापुरा थाना पोरसा हाल फूलसिंह जाटव का किराये का मकान, सुमेर कॉलोनी वार्ड नं0 17
- 5. बन्टी पुत्र बाबूराम उम्र 27 वर्ष निवासी सुमेर कॉलोनी वार्ड नं0 17 गोहद चौराहा
- 6. बृजेश पुत्र मातादीन जाटव उम्र 32 वर्ष निवासी कठवांहाजी थाना गोहद

### The offence complained of, and date of its alleqed commission

आपने दिनांक 03/08/17 को 18:00 बजे से 19:00 बजे के मध्य स्थान पंचायत भवन के पास ग्राम घूम का पुरा थाना गोहद चौराहा गोहद में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--<u>आरोपी का अभिवाक्</u>

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the the property in respect of whitch the offence has been committed

TA

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 11/08/17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये 100–100 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05-05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गड़डी नष्ट हो एवं रूपये 4170 / रुपये राजसात किये जाते है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान-भिण्ड

दिनांक- 11/08/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद